



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032026-271296
CG-DL-E-25032026-271296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2026/चैत्र 4, 1948

No. 12]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2026/CHAITRA 4, 1948

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

फा.सं.1/5/2013-डीवीसी.—केंद्र सरकार, दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, भाग 1, खंड II में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 14), यथासंशोधित, की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, श्री के. श्रीनिवासन, भा.प्र.से, सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखंड सरकार को झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एतद्वारा तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक दामोदर घाटी निगम का अंशकालिक सदस्य नियुक्त करती है।

आधार राज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2026

F.No. 1/5/2013-DVC.—In pursuance of the powers conferred by Section 4 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948), as amended, the Central Government hereby appoints **Shri K. Srinivasan, IAS, Secretary, Energy Department, Government of Jharkhand**, as a Part-time Member of the Board of Damodar Valley Corporation representing the State of Jharkhand, in supersession of this Ministry's Notification, published in the Gazette of India, Part 1, Section II, dated the 9th October, 2020, with immediate effect and until further orders.

AADHAR RAJ, Jt. Secy.

2211 GI 2026